न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती पदमा देवी आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 57/2022

–:: वादी ::–

1. सुमेरसिंह पुत्र गोकुलराम जाति विश्नोई निवासी रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. गोगीदेवी पत्नि महीराम
2. भागूराम पुत्र शेराराम
3. रामलाल पुत्र भींयाराम
4. सुखाराम पुत्र शेराराम
5. सत्यनारायण पुत्र आईदानराम
6. स्व. गोपाराम पुत्र स्व. शेराराम फौत के कायम मुकाम
   6/1 कोयली पत्नि गोपाराम
   6/2 महीराम पुत्र गोपाराम
   6/3 श्रवण पुत्र गोपाराम
   6/4 रामनिवास पुत्र गोपाराम
   6/5 शारदा पुत्र गोपाराम
   6/6 बुधकी पुत्री गोपाराम
   सभी जातियान विश्नोई निवासीगण रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
7. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर
8. प्रबन्धक, जोधपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, रामड़ावास कलां, तहसील पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 23.05.2022

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री निर्मल कटारिया अधिवक्ता प्रार्थी ।

निर्णय दिनांक : 27.07.2022

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम जाटियावास, पटवार हल्का बुचकलां, भू.अ.नि.क्षैत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 9.6918 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम भूमि स्थित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

है, जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम से संयुक्त खातेदारी की खाता सं. नया 199 व पुराना 172 पर इन्द्राजसुदा है । जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2075 से 2079 की संलग्न पेश है । उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/8 वां हक हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 1 से 6 का राजस्व रिकार्ड अनुसार हक हिस्सा निहित है । उपरोक्त आराजी सायल एवं गैर सायलान की राजस्व रिकार्ड में सामलाती आराजी है एवं प्रार्थी, अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से में काबिज काश्त है तथा सहखातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा नही हो रखा है । चूंकि भूमि राजस्व रिकार्ड मे शामलाती है और गैर सायलान, सायल की मौके की कीमती भूमि को हड़प करने की नीयत से अवैध रूप से निर्माण करने एवं वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । गैर सायलानो द्वारा बंटवाड़ा न करने एवं अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि पर अधिकार करने एवं अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि पर अधिकार करने की ऐलानिया धमकियॉ सायल को दी जाती है । यदि गैर सायलान अपने गैर कानूनी मसूंबो में कामयाब हो जाते है, तो सायल को अपने साम्पैतिक हक एवं अधिकरो से महरूम होना पड़ेगा एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं जायज खातेदारी अधिकारो का हनन होगा । इसलिए सायल के पास विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैर सायलान पेश किया गया है ।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये । अप्रार्थीगण सं. 4 बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । अप्रार्थी सं. 1, 3, 5 2, एवं 6/1, 6/6 मय अधिवक्ता गत तारीख पेशी एवं आज तारीख पेशी में अनुपस्थित । न्यायालय हाजा द्वारा रूक–रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी बावजूद उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है । वकील प्रार्थी बहस हेतु तैयार हुए । अतः वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी ।

बहस वकील प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी, उस पर मनन किया । वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा ग्राम जाटियावास पटवार क्षेत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 9.6918 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम संयुक्त शामलाती आराजी के विभाजन का दावा प्रस्तुत किया है । प्रार्थी द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 04 में मांग की है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण में वादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त व हक हिस्सो को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है । प्रार्थी परेशानियों से बचने के लिए कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाना चाहता है, बंटवाड़ा होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है । इसी प्रकार पैदा सं. 5 में अंकित किया है कि प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है, परन्तु गैर सायल सायल की कब्जे काश्त वाली भूमि पर तथा मौके की कीमती जमीन को हड़प करने की नीयत से मौके पर अवैध निर्माण करने तथा जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हो गये तथा बंटवाड़ा करवाने से मना कर दिया, इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां एवं वादों के विचारण के दौरान इस धारा के अधीन अस्थाई आदेश (निषेधाज्ञा) का अनुतोष दिया जा सकता है, जब प्रार्थी शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य से यह साबित कर दे कि वादग्रस्त आराजी को किसी पक्षकार/पक्षकारों द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुँचाने या अतंरित किये जाने का खतरा है या कोई पक्षकार ऐसा करने का आशय रखता है या धमकी देता है । अस्थाई आदेश (निषेधाज्ञा) के प्रार्थना पत्र पर निर्णयन से पूर्व इसके तीन महत्वपूर्ण आयामों का विवेचन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य है कि वाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है, तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपभोग का अधिकार प्राप्त है, परन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए यह साक्ष्य का विषय है । वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदारान के हक हिस्सा अनुरूप कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाना चाहता है, प्रार्थी ने यह कथन किया कि अप्रार्थीगण शामलाती आराजी में अपने हक हिस्से से अधिक भूमि को हड़प करने की नीयत रखते है तथा विधिवत विभाजन पूर्व वादग्रस्त आराजी पर अवैध निर्माण करने व उसे खुर्द बुर्द करने पर उतारू है अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा न तो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, न ही न्यायालय हाजा में तारीख पेशी पर उपस्थित हुए । अतः अप्रार्थीगण प्रार्थी के कथनों का किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया । पत्रावली पर उपलब्ध भू.

उपखण्ड अधिकारी
तखतगढ़ (जोधपुर)

अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त सहखातेदारी की शामलाती आराजी है जिसमें प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है । अतः उक्त आराजी में प्रार्थी को अपने हिस्से तक की आराजी में अपनी खातेदारी अधिकारो के उपयोग/उपभोग के अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थीगण उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा उसे आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक के अधिकारो का उपयोग उपभोग प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है ।

2. सुविधा का संतुलन :– सुविधा का संतुलन सीधे तौर पर वर्तमान में कब्जा एवं उपभोग की स्थिति से है । इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में आदेश नही दिया गया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी कि नही ! हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण अधिवक्ता लगातार दो तारीख पेशियो से न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए व न ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वाद की कार्यवाही के प्रति गंभीर नही है, जिससे अप्रार्थीगण की नीयत स्वच्छ प्रतीत नही होती है। प्रार्थी ने वाद पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि पर अधिकार करने व उस पर जबरन अवैध निर्माण करने के कथन किए है । वादी द्वारा थानाधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति पेश की, जिसमें अप्रार्थीगण को पांबद करने दरखास्त की गयी थी, जिसका अप्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नही किया गया, जिससे प्रार्थी के उक्त कथन पुष्ट होते है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक का सुविधा सतुंलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होता है ।

3. अपूरणीय क्षति :– प्रार्थी को यह साबित करना होता है कि यदि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई आदेश जारी नही किया गया तो उसे ही अपूरणीय क्षति होगी, ऐसी क्षति जो न्याय का उद्देश्य ध्वस्त कर देगी । हस्तगत प्रकरण में विवेचन से स्पष्ट है कि वाद शामलाती संयुक्त खातेदारी भूमि के कानूनन विभाजन का है और प्रतिवादीगण इस पर सहमत नहीं है और न ही न्यायालय हाजा में मय अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादीगणों का बावजूद वाद विचाराधीन होने पर भी न्यायालय में उपस्थित नही होना और प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करना यह दर्शाता हे कि इस प्रकरण में उनकी स्वच्छ नीयत नही है, प्रार्थी को अगर वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया जाता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अथवा प्रार्थी कब्जाकाश्त वाली भूमि पर जबरन पक्का निर्माण कर दिया जाता है, वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर, बेचान, हस्तान्तरण किया जाता है, तो प्रार्थी के जायज खातेदारी अधिकारो का हनन होगा तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी । अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होता है ।

इस प्रकार उपर्यक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार स्पष्ट है कि अस्थाई आदेश के लिए आवश्यक तीनों बिन्दु हस्तगत प्रकरण में वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है । अतः हम प्रार्थना पत्र स्वीकार करना विधिसंगत व उचित समझते है ।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई आदेश बखूबी साबित होने से तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है । अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से जारी की जाती है कि सरहद मौजा जाटियावास पटवार क्षैत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 9.6918 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करें राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही करें । रहन, बेचान, हस्तान्तरण, न करने व प्रार्थी के अपने हिस्से तक के खातेदारी अधिकारो के उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न न करने, प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न न करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है ।

पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो ।

(पदमा देवी)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(पदमा देवी)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर